रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241272 CG-DL-E-21122022-241272

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5751]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 5751]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली. 21 दिसम्बर. 2022

का.आ 5989(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय प्रकट करती है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, फ्थेलिक एनहाईड्राइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम फ्थेलिक एनहाईड्राइड (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. फ्थेलिक एनहाईड्राइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 22 जून, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

8560 GI/2022 (1)

3. उक्त आदेश में, सारणी के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण: सारणी के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, जिसके अर्न्तगत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी और समय-समय पर अधिसूचित उसके संशोधन भी है, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा"।

[फा. सं. 46016/6/2020-टेक. सीपीसी (भाग-2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 5434(अ), तारिख 24 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात तारीख 13 जून, 2022 को संख्या का.आ. 2728 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

Ministry of Chemicals and Fertilizers

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 21st December, 2022

- S.O. 5989(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Phthalic Anhydride (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Phthalic Anhydride (Quality Control) Second Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Phthalic Anhydride (Quality Control) Order, 2021 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 22nd day of June, 2023."
- 3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—
- "Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F.No. 46016/6/2020-Tech.CPC (Pt.2]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secv.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5434(E), dated the 24th December, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O.2728(E), dated the 13th June, 2022.